NOTE FOR JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत पन्तगॉव–चमड़खान–शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार (सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)।

जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत पन्तगॉव–चमड़खान–शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार (सिमलधार से शैलापानी तक मिलान) का निर्माण प्रस्तावित है। मार्ग की कुल स्वीकृत लम्बाई 4.50 किमी0 है। उक्त क्षेत्र हेतु कोई भी लिंक मार्ग या सड़क मार्ग नहीं है जिससे यहॉ की जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, अतः उक्त मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है। इस मोटर मार्ग के लिये 2 समरेखन निर्धारित किये गये थे :–

समरेखन–1 यह समरेखन पन्तगॉव–चमड़खान–शैलापानी मोटर मार्ग किमी0–10 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर भिकियासैन विनायक मोटर मार्ग के किमी0–3 पर समाप्त होता है जिसकी लम्बाई 4.50 किमी0 है। इस समरेखन का ग्रेड सरल है एवं मार्ग में 6 हेयर पिन बैण्ड आते है।। इस समरेखन में नाप भूमि/ सिविल वन पंचायत भूमि प्रभावित होती हैं। इस समरखेन के निर्माण से लागत भी कम आयेगी। इस समरेखन हेतु भू–गर्भवेत्ता द्वारा भी सहमति दी गई है।

समरेखन–2 यह समरेखन पन्तगॉव–चमड़खान–शैलापानी मोटर मार्ग किमी0–10 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर भिकियासैन विनायक मोटर मार्ग के किमी0–3 पर समाप्त होता है जिसकी लम्बाई 4.50 किमी0 है एंव उक्त समरखेन में 7 हेयर पिन बैण्ड भी आ रहे हैं। इस समरेखन में सिमलधार की सिविल वन पंचायत/ वन भूमि प्रभावित होती है एवं इस समरखेन के निर्माण से लागत भी अधिक आयेगी। जिस कारण इस समरेखन को निरस्त कर दिया गया है।

उपर्युक्त दोनों समरेखनों के अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा समरेखन–1 में न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती है तथा वन भूमि के अतिरिक्त निर्माण हेतु कोई और विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने हेतु परियोजना को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग,
रानीखेत ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0विभाग,
रानीखेत ।